न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), चन्दौली।

उपस्थितः अनुराग शर्मा,एच.जे.एस. J.O.I.D. NO- U.P. 1571

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः 424 सन् 2026

UPCD010008982026

मधु कुमारी पत्नी दीपक शाह निवासिनी कस्मारिया/कस्मरिया, थाना– चरपोखरी, जनपद– आरा, बिहार। .....अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, ...अभियोजन पक्ष

मु.अ.सं.ः 26 सन् 2026,
धाराः 137,143 भा.न्या.सं.,
77 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधि0 2015 व 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थानाः जी.आर.पी. पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर,
जनपदः चन्दौली।

दिनांकः 17.03.2026

1. आवेदिका/अभियुक्ता मधु कुमारी की ओर से मु.अ.सं.– 26/2026, अंतर्गत धारा– 137, 143 भा.न्या.सं., धारा– 77 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधि0 2015 व धारा– 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना– जी.आर.पी. पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद– चन्दौली के केस में उसे जमानत पर रिहा करने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में श्रीमती सीमा देवी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट), चन्दौली द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता पर, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, बच्चे की चोरी करके उन्हें दूसरों को बेचने तथा संगठित होकर बच्चा चुराने व उसके गोद से चोरी का बच्चा बरामद होने का आरोप है। इसके सह आधिपत्य से अल्प्रासीन–0.5 नामक नशीली दवाई की दो टैबलेट भी बरामद हुआ है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट), चन्दौली को सुना एवं पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रस्तुत मामले में अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 11.02.2026 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक अश्वनी कुमार रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट डी.डी.यू., सह कर्मियों के साथ मिलकर बाल तस्करी के विरूद्ध अभियान चला रहे थे, जिसके क्रम में समय करीब 13:20 बजे तीन पुरूष के साथ एक महिला को गोद में एक बच्चा को लेकर दक्षिणी यार्ड डी.एफ.सी.सी. लाईन से स्टेशन की तरफ आते हुए देखा तो संदेह होने पर उन लोगों को पोल संख्या– 1435 के पास रोककर पूछताछ किया गया तो वे घबराने लगे। लड़का बच्चा के सम्बन्ध में पूछने पर वे लोग सकपका गए। सख्ती से पूछताछ करने पर

Digitally signed by ANURAG SHARMA
Date: 2026.03.17 16:37:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उन्होंने बताया कि समय करीब 05:00 बजे उन लोगों ने इस बच्चे को यहीं स्टेशन के दक्षिणी दिशा में सीढ़ी के नीचे सो रहे बेघर लोगों में से किसी महिला के पास सो रहे बच्चे को चोरी से उठाकर बगल में ही कॉलोनी में जाकर छिप गए तथा अब आरा जाने वाली गाड़ी पकड़ने के लिए आ रहे थे। नाम–पता पूछने पर बारी–बारी से उन्होंने अपना नाम 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 बबलू सिंह निवासी गोह, थाना– गोह, जिला– औरंगाबाद, बिहार, 2. पवन प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद निवासी कछवा, थाना– कछवा, जिला– रोहतास, बिहार, 3. मनीष कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार शर्मा निवासी वार्ड नं0–14 डुमरांव, थाना– डुमरांव, जिला– बक्सर, बिहार व 4. मधु कुमारी पत्नी दीपक शाह निवासिनी कस्मरिया, थाना– चरपोखरी, जिला– आरा, बिहार बताया तथा पूछने पर यह भी बताए कि वे लोग संगठित होकर बच्चा उठाने का काम करते हैं और उठाया हुआ बच्चा मुजफ्फरपुर ले जाकर वहाँ पर नसीम नामक व्यक्ति मो0नं0– 7367828903 तथा खुशबू मोबाईल नम्बर– 7491967495, जो माँ मंशा नर्सिंग होम मुजफ्फरपुर में काम करते हैं, को बेच देते हैं, जिसके बदले उन सभी को प्रति बच्चा बीस हजार रूपये तथा कभी–कभी इससे भी अधिक रूपये मिलते हैं, जिन्हें वे आपस में बांट लेते हैं। उन लोगों ने इससे पहले भी 7–8 बार नसीम को चोरी कर उठाए हुए बच्चों को बेचा है। जितेन्द्र ने बताया कि नसीम ने कई बार चोरी किए गए बच्चों के एवज में पेमेंट उसके फोन पे नं. 9241162496 पर तथा कई बार नगद पेमेन्ट भी किया है। जितेन्द्र कुमार के पास स्थित बैग की तलाशी लेने पर एल्प्रासीन–0.5 नामक नशीली दवाई के दो टैबलेट व बच्चों के अन्य सामान बरामद हुए। पूछने पर बताया कि माँ मंशा नर्सिंग होम मुजफ्फरपुर में काम करने वाला नसीम उनको यह नशीली दवाई उपलब्ध कराता है। पूछने पर बताया कि यह जानते हुए भी कि इसकी थोड़ी बहुत मात्रा ज्यादा होने पर बच्चे को जानलेवा साबित हो सकता है, वे चोरी किए बच्चों को दवाई दूध में मिलाकर पिला देते हैं, ताकि बच्चा सो जाए। अभियुक्तों की निशानदेही पर बच्चे को साथ लेकर डी.डी.यू. स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित रैंप सीढ़ी के नीचे जाने पर वहाँ कुछ बेघर लोगों को देखा गया, जो पहले से ही गुम हुए बच्चे की खोज–बीन कर रहे थे और व्यथित थे। बच्चे को देखते ही उनके माता–पिता तुरंत उसकी पहचान अपने बच्चे के रूप में किए और अपना नाम–पता पमिया देवी पत्नी मिथुन खरवार व पिता ने अपना नाम मिथुन खरवार पुत्र गोरख खरवार बताया तथा बच्चे का नाम दिव्यांशु उम्र करीब 02 वर्ष बताया।

5. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता की यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन कथानक असत्य है। बच्चे के माता–पिता या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा अभिकथित बरामद बच्चे की बाबत अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बाद या गिरफ्तारी के पूर्व कहीं भी कोई प्राथमिकी बच्चे की गुमशुदी या गायब किए जाने की बाबत दर्ज नहीं करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के पास से कोई तथाकथित अपहृत बच्चा बरामद नहीं हुआ है और न ही कोई नशीली दवा एवं अन्य सामान ही उसके पास से बरामद हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित पीड़ित बच्चे को मादक औषधि दिए जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है, जबकि तथाकथित घटना रेलवे स्टेशन

की कही गयी है, जहाँ पर हमेशा भीड़–भाड़ रहती है। वास्तविकता यह है कि आवेदिका/अभियुक्ता अपनी माँ सीमा देवी के साथ वाराणसी जाने हेतु ट्रेन पर चढ़ी थी। ट्रेन में भीड़ की वजह से आर.पी.एफ. ड्यूटी वाले के पैर पर अनदेखी में उसका पैर चढ़ गया था, जिस पर उक्त आर.पी.एफ. ड्यूटी वाला गुस्से में आवेदिका/अभियुक्ता को गाली देते हुए थप्पड़ मार दिया। परिणामस्वरूप दोनों में कहासुनी होने पर उसने साजिश करके उसे इस मुकदमें में आरोपित कर दिया। आवेदिका/अभियुक्ता का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत देने के लिए तैयार है।

6. केस डॉयरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता पर, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, बच्चे की चोरी करके उन्हें दूसरों को बेचने तथा संगठित होकर बच्चा चुराने व उसके गोद से चोरी का बच्चा बरामद होने का आरोप है। इसके सह आधिपत्य से अल्प्रासीन–0.5 नामक नशीली दवाई की दो टैबलेट भी बरामद होना कहा गया है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द है तथा इसे चोरी के बच्चे के साथ मौके से गिरफ्तार किया जाना कहा गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध अति गंभीर प्रकृति का है। अतः अपराध की प्रकृति, गंभीरता व मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार से आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता मधु कुमारी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(अनुराग शर्मा),
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम),
चन्दौली।

दिनांक– 17.03.2026
आशुलिपिक,
विमल किशोर श्रीवास्तव